लाक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल 462021
दूरभाष : 91–755–2583650,फैक्स :2583651,
ई–मेल dpividhya@gmail.com

क्रमांक./अकादमिक/लैपटाप/पी/2022/1877 भोपाल, दिनांक:- 23/9/22

प्रति

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
4. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जन जातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश।

विषयः– प्रतिभाशाली विद्यार्थियों प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम का दिनांक परिवर्तित कर इसे 30 सितम्बर 2022 को आयोजित करने के संबंध मे दिशा निर्देश।

संदर्भः– इस कार्यालय का पूर्व पत्र कमांक अकादमिक/लैपटाप/पी/2022/1827 भोपाल, दिनांक 20.09.2022।

—000—

कृपया उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्नित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2022 लाल परेड ग्राउंड भोपाल में समारोह पूर्वक को प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत, पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप कय हेतु राशि रूपये 25000/– उनके खाते में अंतरित करने संबंधी निर्देश थे। यह कार्यक्रम अब दिनांक 30 सितम्बर 2022 को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश दिए जाते है :–

1. भोपाल संभाग के सभी जिलों कमशः भोपाल,रायसेन,सीहोर,राजगढ़ तथा विदिशा के 12961 विद्यार्थी तथा नर्मदापुरम, शाजापुर तथा देवास के समस्त विद्यार्थी दिनांक 30सितम्बर 2022 को प्रातः 10:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल लाल परेड ग्राउंड भोपाल में उनके लिए निर्धारित स्थल पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। शेष जिलों के विद्यार्थी एवं स्टाफ भी प्रातः 10:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होंगे।
2. प्रदेश के शेष 44 जिलों से प्रत्येक जिले से एक–एक 52 सीटर बस के द्वारा जिला मुख्यालय विकासखण्ड अथवा नजदीकी विकासखण्ड के 45 विद्यार्थी एवं 2–2 महिला एवं पुरुष शिक्षक दिनांक 29 सितम्बर 2022 को सायंकाल तक भोपाल पहुचेंगे। संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी तथा ए.डी.पी.सी. अपने संभाग/जिले के विद्यार्थियों के दल के साथ स्वयं कार्यक्रम में अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल द्वारा कमांक 1 में उल्लेखित जिलों के अतिरिक्त शेष 44 जिलो से आने वाले विद्यार्थियों ,शिक्षक,शिक्षिकाओं,के आवास,भोजन,आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा विभिन्न जिलों से समन्वय स्थापित किये जाने हेतु कट्रोल रूम स्थापित किया जाये।
4. कमांक एक पर वर्णित जिलों को छोड़कर शेष जिलों के विद्यार्थियों हेतु यात्रा के दौरान विद्यार्थियों एवं स्टाफ के अल्पाहार तथा भोजन इत्यादि की व्यवस्था जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाए। जो जिले 29 सितम्बर को सीधे भोपाल पहुँचकर भोपाल मे रात्रि विश्राम करेंगे उनके रात्रि भोजन की व्यवस्था भोपाल में की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो जिले लम्बी यात्रा के दौरान भोपाल के पहले किसी जिले मे रात्रि विश्राम करेंगे, उनके आवास, अल्पाहार, भोजन इत्यादि व्यवस्थाएं रात्रि विश्राम के जिले मुख्यालय के जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय कर किया जाए। यह सभी व्यवस्थाएं एवं स्थान दिनांक 4 सितम्बर को भोपाल में आयोजित नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप ही होंगी। जिन जिलों के प्रतिभागियों द्वारा ट्रेन से यात्रा की गई थी, उन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी दूरी के आधार पर आवश्यकतानुसार रात्रि विश्राम की व्यवस्था संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय कर सुनिश्चित करेंगे।
5. भोपाल संभाग तथा देवास, शाजापुर एवं नर्मदापुरम जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी उनके विद्यार्थियों तथा स्टाफ के अल्पाहार की व्यवस्था प्रस्थान स्थल से अथवा मार्ग में किसी स्थान पर करेंगे। बसों में भी अल्पाहार रखा जा सकता है जो मार्ग में प्रतिभागियों को दिया जा सकता है।

physicshindi.com

6. भोपाल संभाग तथा देवास, शाजापुर एवं नर्मदापुरम जिलो के सभी प्रतिभागियों की भोजन व्यवस्था उनकी वापस यात्रा की दिशा में पड़ने वाले स्कूलों यथा बालक एवं कन्या बैरागढ़, शासकीय उ.मा.वि. गांधीनगर, शा.उ.मा.वि चौपड़ाकला तथा शा.उ.मा.वि. बिलखिरिया में जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल द्वारा की जाए ।

7. उपर्युक्त 44 जिलों के प्रतिभागी दिनांक 30 सितम्बर को कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल द्वारा निर्धारित अपने आवास स्थलों पर आकर भोजन प्राप्त करेंगे एवं तदउपरांत गतव्य हेतु प्रस्थान करेंगे।

8. सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों को यह सूचना दे कि वे कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आवश्यक तैयारियाँ कर लें। बिन्दु क्रमांक 1 में वर्णित जिलों को छोड़कर शेष जिलों से आने वाले 45–45 विद्यार्थियों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु उनसे लिखित में सहमति प्राप्त कर ली जाए।

9. सभी जिलों एवं संभाग से मण्डल की प्रावीण्य सूची के अनुसार अधिकतम अंक प्राप्त दो–दो विद्यार्थियों को कार्यक्रम हेतु भोपाल लाया जाए।

10. छात्रों को भोपाल आने–जाने के लिए बस द्वारा आवागमन की व्यवस्था संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में की जाये। इस हेतु परिवहन आयुक्त को पृथक से लेख किया गया है। किराए पर ली गई बसों के किराए का भुगतान परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा।

11. बस में अनुभवी वाहन चालक हो और वे किसी प्रकार के नशे का आदी न हो। वाहन चालक के पास कमर्शियल ड्रायविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।

12. भोपाल से दूर से आने वाले दलों द्वारा किसी भी हालत में रात्रि में 8 बजे के पश्चात यात्रा न की जाये। भोपाल से 250 से अधिक कि.मी. की दूरी होने पर बस में दो ड्रायवर एवं दो कंडक्टर का होना आवश्यक होगा बसों की फिटनेस प्रमाण पत्र,परमिट, अग्निशमन यंत्र तथा फर्स्ट एड बॉक्स आवश्यक रूप से रखा जाए।

13. प्रत्येक बस के आगे एवं पीछे बैनर लगाना आवश्यक होगा। बैनर निम्नानुसार हो:–
"प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन समारोह दिनांक 03 अक्टूबर 2022 जिला ....।

14. जिला शिक्षा अधिकारी जिलों से रवाना हुई बसों के शिक्षक,शिक्षिका, ड्रायवर,कंडक्टर एवं विद्यार्थियोंके नाम तथा मोबाइल नम्बर आदि की संपूर्ण जानकारी सूचीबद्ध कर राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल में स्थापित किए जाने वाले नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराएंगे।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक./अकादमिक/लैपटाप/पी /2022/1878 भोपाल, दिनांक: 23/9/22
प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव ,माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जनजातीय कार्य विभाग।
3. विशेष सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मध्यप्रदेश।
4. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
6. अपर परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. सचिव, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, शिवाजी नगर, भोपाल।
8. संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल, शिवाजी नगर, भोपाल।
9. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र अरेरा हिल्स मध्यप्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

physicshindi.com